

प्रेस नोट



थाना - अखण्डनगर से पुलिस टीम द्वारा **मु0अ0सं0 418/2020 धारा 377/302 IPC व 5/6 POCOSO Act** थाना अखण्डनगर से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण :-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कादीपुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के परिपेक्ष में आज दिनांक 21.11.2020 को मु0अ0सं0 418/2020 धारा 377/302 IPC व 5/6 POCOSO Act थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर का सफल अनावरण करते हुए अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अन्दर नामित अभियुक्त **सुशील उर्फ टकलू पुत्र राम चन्दर नि0ग्राम खखरा थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर** को गिरफ्तार किया गया । जिसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए दिनांक 17/18.11.2020 की रात में मृतक राघव प्रजापति उम्र 15 वर्ष के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी गमछा से गला कसकर हत्या कर देना स्वीकार किया साथ ही इस घटना में जिस गमछा से कसकर हत्या किया वो गमछा (आला कल्ल) भी बरामद कराया अभियुक्त सुशील की गिरफ्तारी प्रातः 06.30 बजे की गयी और सम्पूर्ण कार्यवाही कर चालान न्यायालय सदर सुलतानपुर किया जा रहा है।

नाम पता अभि0गण :- 1. सुशील उर्फ टकलू पुत्र राम चन्दर नि0ग्राम खखरा थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर उम्र -30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र0नि0 संजय सिंह
2. कां0 सुधीर रावत
3. का0 प्रवीण यादव